न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 240/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/344)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. शरणजीत सिंह पुत्र सुखचैन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर।	1. गुरप्रीत सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 2. जसप्रीत कौर पत्नी जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 3. लवप्रीत सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 4. गुरवन्त कौर पत्नी जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 5. हुसनप्रीत सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 6. सुखचरण कौर पत्नी जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 7. सुखपाल कौर पत्नी सुखचैन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 8. मनप्रीत कौर पुत्री सुखचैन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 9. खजानचन्द पुत्र हरीचन्द्र जाति अरोडा निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 10. नंदी देवी पत्नी हरीचन्द्र जाति अरोडा निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 11. प्रेम उर्फ आरती पुत्री हरीचन्द्र जाति अरोडा निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 12. शांति प्रकाश पुत्र हरीचन्द्र जाति अरोडा निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 13. राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू 17.07.2025

उपस्थितः 1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण
2. श्री श्याम लाल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,2,4,7

दिनांकः 26.12.2025

––निर्णय––

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 2 ओ पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 85/80 के मुरब्बा नम्बर 19, 24, 55, 74/27 की कुल 9.487 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 9 खजान चन्द के नाम 95/9487 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 नंदी देवी के नाम 95/9487 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 प्रेम उर्फ आरती के नाम 95/9487 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 शांति प्रकाश के नाम 95/9487 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खातेदारान संतराम, मोहनलाल, पिसरान कर्मचन्द व नंदी देवी बेवा हरीचन्द्र, खजानचन्द्र, प्रेम उर्फ आरती, शांतिप्रकाश पिसरान हरीचन्द्र के द्वारा मुरब्बा नम्बर 24 में कुल साढे चार बीघा करीबन भूमि का बेचान जरिए दस्तावेज दिनांक 27.03.1986 को वादी के दादा/प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के दादा/ससुर/पति जीत सिंह पुत्र निरंजन सिंह को गवाहान वीरभान पुत्र मंगला राम, तोला राम पुत्र चिमन राम के समक्ष कर दिया था और समय-समय पर प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली थी। उक्त दस्तावेज की पालना में खातेदारान संतराम, मोहनलाल पिसरान कर्म चन्द के द्वारा भूमि का नामातंरण करवा दिया था। लेकिन नंदी बेवा हरीचन्द्र व उसके वारिसान जो की अन्यत्र स्थान पर निवासरत करते थे तथा उनकी भूमि की सार संभाल व तमाम देखभाल नंदी देवी के द्वारा की जाती थी। भूमि का कब्जा काश्त जीत सिंह पुत्र निरंजन सिंह के पास खरीद की दिनांक से चला आ रहा था और उनके जीवनकाल में भी था। उनके देहांत होने के पश्चात मृतक जीत सिंह के वारिसान के पास कब्जा काश्त था तथा वर्तमान में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के संयुक्त कब्जा काश्त में है। खातेदार नंदी देवी के द्वारा निष्पादित दस्तावेज वादी

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

व उसके परिवार के पास अवश्य है, लेकिन उक्त दस्तावेज के आधार पर वादी व उसके परिवार के द्वारा भूमि का नामातंरण करवाने की कई बार कोशिश की गयी। लेकिन भूमि का नामातंरण नहीं होने के कारण वादी के द्वारा उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 ओ पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 85/80 के मुरब्बा नम्बर 19, 24, 55, 74/27 की कुल 9.487 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 9 खजान चन्द के नाम दर्ज 0.095 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 10 नंदी देवी के नाम दर्ज 0.095 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 11 प्रेम उर्फ आरती के नाम दर्ज 0.095 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 12 शांति प्रकाश के नाम दर्ज 0.095 हैक्टेयर भूमि, कुल 0.380 हैक्टेयर भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को बहिस्सा बराबर भूमि का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 7 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम लाल के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति जाहिर की। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 7 के विरूद्ध किए गए एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को निरस्त किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 7 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। वादी अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। साक्ष्यवादी में गवाह शरणजीत सिंह के द्वारा शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। सामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह गुरप्रीत सिंह, जसप्रीत कौर, गुरवन्त कौर, सुखपाल कौर के द्वारा शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। सामिल मिसल किए गए। तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा पंत्राक 3401 दिनांक 01.12.2025 से रिपोर्ट प्रेषित की। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक राजस्व ग्राम 2 ओ पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 85/80 में दर्ज खजानचन्द पुत्र हरीचन्द्र, नंदी देवी पत्नी हरीचन्द्र, प्रेम उर्फ आरती पुत्री हरिचन्द्र, शांतिप्रकाश पुत्र हरीचन्द्र प्रत्येक के नाम 0.095 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। लेकिन उक्त खातेदारों ने लगभग 35-40 वर्ष पूर्व उक्त रकबा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को बैय कर दिया था। उक्त खाते में दर्ज हिस्से को उक्त चारों ने अपना हिस्सा बैय करने के बाद से कब्जा काश्त वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पास है। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादी का वादपत्र, तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादी का वादपत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम मय दस्तावेजात, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेजात के मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 ओ पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 85/80 के मुरब्बा नम्बर 19, 24, 55, 74/27 की कुल 9.487 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 9 खजान चन्द के नाम दर्ज 0.095 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 10 नंदी देवी के नाम दर्ज 0.095 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 11 प्रेम उर्फ आरती के नाम दर्ज 0.095 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 12 शांति प्रकाश के नाम दर्ज 0.095 हैक्टेयर भूमि, कुल 0.380 हैक्टेयर भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को बहिस्सा बराबर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. शरणजीत सिंह पुत्र सुखचैन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर।	1. गुरप्रीत सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 2. जसप्रीत कौर पत्नी जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 3. लवप्रीत सिंह पुत्र जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 4. गुरवन्त कौर पत्नी जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 5. हुसनप्रीत सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 6. सुखचरण कौर पत्नी जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 7. सुखपाल कौर पत्नी सुखचैन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 8. मनप्रीत कौर पुत्री सुखचैन सिंह जाति जटसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 9. खजानचन्द पुत्र हरीचन्द्र जाति अरोडा निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 10. नंदी देवी पत्नी हरीचन्द्र जाति अरोडा निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 11. प्रेम उर्फ आरती पुत्री हरीचन्द्र जाति अरोडा निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 12. शांति प्रकाश पुत्र हरीचन्द्र जाति अरोडा निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 13. राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वादपत्र धारा अन्तर्गत 88, 91, 209 आरटीए
मुकदमा नम्बर **240/2025**
निर्णय दिनांक :-26.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री श्याम लाल उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 ओ पटवार हल्का तेजेवाला 10 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 85/80 के मुरब्बा नम्बर 19, 24, 55, 74/27 की कुल 9.487 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 9 खजान चन्द के नाम दर्ज 0.095 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 10 नंदी देवी के नाम दर्ज 0.095 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 11 प्रेम उर्फ आरती के नाम दर्ज 0.095 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 12 शांति प्रकाश के नाम दर्ज 0.095 हैक्टेयर भूमि, कुल 0.380 हैक्टेयर भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को बहिस्सा बराबर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 26.12.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/2025/968

दिनांकः 31/12/2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम} (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)